राजस्थान सरकार

अभियाजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– प0 13(07) (4) विधि / कोर्ट केस / अभि0 / 2023/4527-72 दिनांक 16.05.2023

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एल.पी (कि.) न0 5191/2021, सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई एवं अन्य, निर्णय दिनांक 11-07-2022 में विभिन्न दिशानिर्देश पारित किये गये है। साथ ही माननीय न्यायालय द्वारा विविध प्रार्थना पत्र न. 2034/2022, सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम सी.बी.आई एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 23.02.2023 एवं 02.05.2023 में निर्देश दिये है कि अभियोजन अधिकारी न्यायालय के समक्ष सही विधिक पक्ष प्रस्तुत करें। उक्त निर्णयों में पारित निर्देशों के अतिरिक्त निम्न निर्देश दिये जाते है कि–

1. सभी अभियोजन अधिकारी चार्जशीट प्रस्तुत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि द.प्र.सं. की धारा 41 एवं 41A की अनुपालना अन्वेषण अधिकारी द्वारा कर ली गयी है।
2. सभी अभियोजन अधिकारी जमानत के समय न्यायालय में आवश्यक रूप से उपस्थित हों एवं यह सुनिश्चित करें कि आरोपी की गिरफ्तारी के समय 41 एवं 41A की पालना कर ली गयी है।

उपरोक्त बिंदुओं के साथ–साथ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में पारित दिशानिर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है–

1. समस्त उपनिदेशक अभियोजन / समस्त सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान को प्रतिलिपि प्रेषित कर लेख है कि न्यायालय निर्णय की प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट से प्राप्त कर समस्त अभियोजन अधिकारियों से दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित करवायी जावे।
2. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय, राजस्थान को वेबसाइट पर अपलोड करवाये जाने हेतु।

16/05/23

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर